राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

परिपत्र

विधान सभा कार्य/तत्काल

क्रमांकः प.11(1)विधि/2/2018 जयपुर, दिनांकः 16 AUG 2018

विषयः–चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के बुधवार दिनांक 05 सितम्बर, 2018 से प्रारम्भ होने वाले ग्यारहवें अधिवेशन में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

जैसाकि विदित है, चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का ग्यारहवां अधिवेशन बुधवार दिनांक 05 सितम्बर, 2018 से प्रारम्भ होने जा रहा है। उक्त विषयान्तर्गत माननीय संसदीय कार्य मन्त्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 08.06.2018 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 03.08.2018 के माध्यम से समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिपत्र दिनांक 27.06.2018 द्वारा समस्त प्रशासनिक विभागों को निवेदन किया जा चुका है।

वस्तुतः अब सत्र आहूत किये जाने हेतु घोषित की गयी दिनांक 05 सितम्बर, 2018 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त प्रशासनिक विभागों से पुनः निवेदन है कि ऐसे समस्त विधेयकों एवं अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्य विधि नियमावली के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैन्यूअल, 1999 के नियम 55 में विहित प्रावधानों के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कर लेवें तथा पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित संबंधित पत्रावली पर दिनांक 23.08.2018 तक आवश्यक रूप से विधि (ग्रुप–2) विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

विधान सभा के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव विधि (ग्रुप–2) विभाग में भिजवाते समय पत्रावली के साथ निम्नांकित वांछित दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जायें:–

1. पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों तथा उसके उद्देश्यों एवं कारणों का कथन की हिन्दी तथा अंग्रेजी की टंकित छह प्रतियां, जिनमें से दो प्रतियां संबंधित प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा हस्ताक्षरित हों। विधेयक का प्रत्येक पृष्ठ उसकी शुद्वता के प्रतीक स्वरूप सम्बन्धित उप सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हों।
2. मंत्रिमण्डल ज्ञापन की दो प्रतियां।
3. मंत्रिमण्डल आज्ञा की एक प्रमाणित प्रति।
4. विधेयक में वित्त संबंधी खण्ड, जिसमें कोई व्यय अन्तर्वलित हो, अन्तर्विष्ट होने की स्थिति में अधिप्रमाणित वित्तीय ज्ञापन की दो प्रतियां।
5. विधेयक में विधायिका की शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबन्ध होने की स्थिति में प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन की अधिप्रमाणित दो प्रतियां।
6. विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों का कथन, वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन की हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की दो–दो अधिप्रमाणित प्रतियां भिजवाया जाना आवश्यक है।
7. विधेयक के पारण के पश्चात्, यदि उस विधेयक में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक हो, उस स्थिति में तत्संबंधी सूचना भी पत्रावली के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त प्रशासनिक विभाग, विधान सभा के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव उपर्युक्त दस्तावेजों सहित पत्रावली **दिनांक 23.08.2018 तक आवश्यक रूप से विधि (ग्रुप–2) विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।** दिनांक 23.08.2018 के बाद भेजा गया विधायी कार्य इस सत्र में सम्पन्न किया जाना संभव नहीं होगा। किसी विधेयक को सदन के समक्ष पुरःस्थापन से पूर्व गोपनीय रखे जाने की आवश्यकता, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में भी सूचित करें ताकि विधान सभा सचिवालय को यथासमय अवगत कराया जा सके। कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने की स्थिति में तत्सबंधी **'शून्य'** सूचना से भी अवगत करावें।

16.8.18
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री महोदया(विधि विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मन्त्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य/संसदीय कार्य विभाग,राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग/ग्रुप/प्रकोष्ठ।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों को ई–मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

16/8/18
विशिष्ट शासन सचिव